भारतीय पशु चिकित्सा परिषद  VETERINARY COUNCIL OF INI  भारत सरकार का वैद्यानिक निकाय  (Statutory body of Government of India)					
पंजीकृत पशु चिकित्सक REGISTERED VETERINARY PRACTITIONER नाम/Name Suchan					
पिता या पित का नाम/ Father's/Husband's Name Sh. Samodhah पंजीयन संख्या/Regn. No. 12185					

## विकत्सा परिषद / VETERINARY COUNCIL OF INDIA

जी कामा प्लेस, नई दिल्ली-१९००६६ / A-Wing, August Kranti Bhawan, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066

पंजीयन प्रमाण-पत्र / Registration Certificate





भा.प.चि.प. प्रमाण-पत्र सं / V.C.I./ Regn. No. : \_\_\_\_2185

यह प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. ...पिटाइंट २५५०० २५५०० को जिनकी विशिष्टियाँ नीचे दर्शित की गई है भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, १६८४ (१६८४ का ५२) के उपबंधों के अधीन सम्पर्क रूप से रिजस्ट्रीकरण कर लिया गया है।/ This is to certify that Dr. <u>Jonkhade Supphil</u> Samadhan whose particulars are shown below has been duly registered under the provisions of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984).

below has been duly registered under the provisions of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984).					
पिता ∕पित के नाम सहित नाम Name with Father's / Husband's Name	जन्मतिथि Date of Birth	पता Address	अर्हता और उसकी तारीख / Qualification and Date thereof	रजिस्ट्रीकरण का स्थान और तारीख (यदि किसी राज्य पशु चिकित्सा परिषद के पास पहले ही रजिस्ट्रीकृत हैं।) Date and Place of Registration (If already registered with a State Veterinary Council)	
Dr. Wankhade Scoopnil	24.6.1995	Prantita Building, Q. No. 3,	B.V.Sc. JAH	Maharashtra State	
Samodhan		Myayalay Karmchari Wasahat,	(Maharashtra Animal	Veterinary Council	
Sto Sh. Samadhan		Camp, Amravati-444602,	1 S Fishery Sciences	MSVC / 10435	
		Tg. Amavati, Maharashtra	University, abypua)	Date - 21.10.2020	
			2020	0	

प्रमाणित किया जाता है कि यह भारतीय पशु चिकित्सा व्यवसायी रिजस्ट्रर में ऊपर विनिर्दिष्ट नाम की सत्य प्रतिलिपि है इसके साक्ष्यस्वरूप इस पर भारतीय पशु चिकित्सा परिषद की मुद्रा लगा दी गई है और सचिव ने अपने हस्ताक्षर किए है। यह प्रमाण-पत्र तब तक विधिमान्य है जब तक कि पशु-चिकित्सक का नाम भारतीय पशु-चिकित्सा अधिनियम, १६८४ (१६८४ का ५२) के उपबंधों के अनुसार रिजस्ट्रर से हटा नहीं दिया जाता है।/ Certified that this is true copy of the above specified parme in the Indian Veterinary Practitioner's Register. In witness thereof the seal of Veterinary Council of India and the signature of the Secretary are affixed below. This certificate is valid until the name of Veterinary Practitioner is removed from the Register as per the provisions of the Indian Veterinary Council Act, 1984.

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अद्यादमार्भितर COUNCIL OF INDIA

## आवश्यक सचना / IMPORTANT NOTICE :

- 9. प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत पशु-चिकित्सा व्यवसायी को अपने पते में प्रत्येक परिवर्तन की सूचना सचिव को तुरंत देनी चाहिए और सभी प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए जो उसके संबंध में सचिव द्वारा उसे भेजें जाएँ।/Every registered Veterinary Practitioner should be careful to send to the Secretary immediate notice of any change of his address and also answer all queries that may be sent to him by the Secretary in regard thereto.
- २. भारतीय पशु-चिकित्सा अधिनियम, १६२४ के अधीन रिजस्ट्रीकृत सभी व्यक्ति पशु-चिकित्सा औषधि और पशु-पालन का व्यवसाय करने के लिए विधिक रूप से हैं। 🗸 All persons registered under Indian Veterinary Council Act, 1984, are legally qualified to practice veterinary medicine and animal husbandry.
- ४. यदि प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति जारी की जाती है जैसा विनियम १० के अधीन उपबन्धित है तो इस प्रमाण-पत्र के ऊपर के दाएँ कोने पर "दूसरी प्रति" शब्द लाल स्याही में स्पष्ट अक्षरों में मुद्रित किया जाएगा। / In case a duplicate Certificate is issued as provided under regulation 10, the word 'DUPLICATE' shall be printed in red ink in block letters on top right hand corner of this certificate.